# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 224/2023 GCMS No.—2024/12

फतेह मोहम्मद पुत्र हसन मोहम्मद, जाति मुसलमान, स्थाई निवासी मकान नंबर 30, जगदीश कॉलोनी, माउन्ट रोड, न्यू रामगढ मोड, आमेर रोड, जयपुर, राजस्थान हाल निवासी–596, अन्ना सलाई, मेलविशाराम, वेललोर, तमिलनाडु–632509।

...अपीलांटस

बनाम

1.तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

2. रामकिशोर पुत्र मनफूल

3. श्रवण लाल पुत्र मनफूल समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी बाल किशनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 791 दिनांक 15.07.2016 को तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा स्वीकार किया गया।

———————

उपस्थितः–

1. श्री भौरीलाल शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

## निर्णय दिनांकः 16.05.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 15.07.2016 जिससे नामान्तरकरण संख्या 791 वाके ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ रेस्पाडेन्ट्स संख्या 2 व 3 के नाम स्वीकार किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.01.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या–2 व 3 स्वयं उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तहसीलदार जमवारामगढ से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। दौराने बहस रेस्पा0 संख्या 2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलांट द्वारा ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ स्थित साबिक खसरा नंबर 224 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि हिस्सा 1/6 जरिये रजि0 विकय पत्र दिनांक 16.03.2007 को कय की गयी। अपीलांट ने अपने हिस्से में से आधा हिस्सा अर्थात् 21/140 रेस्पा0 संख्या 2 व 3 को दिनांक 24.07.2014 को जरिये रजि0 विकय पत्र विकय कर दिया। अपीलांट द्वारा विकय की गई भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 760 दिनांक 15.06.2015 के द्वारा केतागण के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई तथा अपीलांट अपने शेष हिस्से 1/2 पर काबिज काश्त चला आया है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी की नकल लेने पर अपीलांट को ज्ञात हुआ कि अपीलांट द्वारा बेचान की गयी भूमि के आधार पर दुबारा नामान्तकरण केतागण के नाम

खोल दिया गया, जिससे अपीलांट का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड से गायब हो गया, जबकि उक्त कार्यवाही में अपीलांट को तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर नहीं दिय गया। अपीलांट ने उक्त तथ्यों की जानकारी होने के तदोपरान्त तहसीलदार जमवारामगढ को शुद्वि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार जमवारामगढ ने दिनांक 16.01.2024 को अपने निर्णय में यह निष्कर्ष दिया कि यद्यपि नामान्तकरण संख्या 791 गलत तस्दीक हुआ है भूप्रबंधन के पूर्व का होने के कारण यह मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। उक्त स्थिति में न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील पेश करने के अतिरिक्त अपीलांट के समक्ष कोई अन्य उपचार उपलब्ध नहीं है। इसलिए अपीलांट ने माननीय न्यायालय में अविलम्ब अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ का आदेश दिनांक 15.07.2016 बाबत नामान्तकरण संख्या 791 वाके ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 2 व 3 के हक में विकय पत्र के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों अनुसार अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 06.12.2023 को हुयी। न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 791 की मूल प्रति एवं नामान्तकरणस संख्या 760 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त दोनो नामान्तकरण अपीलांट द्वारा रेस्पा0 संख्या 2 व 3 के हक में निष्पादित विकय पत्र दिनांक 24.07.2014 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा भरे जाकर पेश किये जाने पर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा तस्दीक किये गये है। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं नामान्तकरणो के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथमतः पक्षकारान के मध्य निष्पादित विकय पत्र दिनांक 24.07.2014 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 760 भरा गया जिसमें अपीलांट का हिस्सा 42/142 अंकित कर नामान्तकरण दिनांक 15.06.2015 को तस्दीक किया गया, जबकि अपीलाधीन भूमि में अपीलांट का हिस्सा 42/140 रहा है। इसके पश्चात तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा उक्त विकय पत्र के आधार पर पुनः अपीलाधीन भूमि के संबंध में नामान्तकरण संख्या 791 दिनांक 15.07.2016 को तस्दीक कर दिया जिसमें अपीलांट के सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तकरण रेस्पाडेन्ट संख्या 2 व 3 के हक में तस्दीक कर दिया जबकि विकय पत्र दिनांक 20.07.2014 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन भूमि में निहित अपने हिस्से के 1/2 हिस्से का बेचान ही रेस्पाडेन्ट के हक में किया था। विचाराधीन प्रकरण में प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 760 एवं 791 तस्दीक करते समय अपीलांट एवं रेस्पा0 के मध्य निष्पादित विकय पत्र दिनांक

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

24.07.2014 का एवं अपीलांट के अपीलाधीन भूमि में निहित हिस्से का भलीभांति अवलोकन किये बिना ही उक्त दोनो नामान्तकरण तस्दीक कर दिये जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2015 बाबत नामान्तरकरण संख्या 760 एवं तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश दिनांक 15.07.2016 बाबत नामान्तकरण संख्या 791 वाके ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(Remand)** किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर एवं उभय पक्षकारान के मध्य निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 24.07.2014 का भलीभांति अवलोकन कर अपीलाधीन भूमि पर वर्तमान में कब्जा काश्त की स्थिति, अपीलाधीन भूमि में निहित अपीलांट के हिस्से आदि समस्त तथ्यों का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

( सुरेश कुमार नवल )
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर